बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना **वर्ष 2019–20** अन्तर्गत नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना।

पात्रता :

1. बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
2. प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् हों।
3. अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र/छात्रा।
4. छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत् न हों।

अहर्त्ता :

1. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये।
2. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् हों।
3. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हों।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत देय राशि :

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 के दर के आलोक में।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) की वेबसाईट **https://scholarships.gov.in** पर उपलब्ध है।
3. National Scholarship Portal के Home Page पर State Schemes को चयन करने के पश्चात् Post-Matric Scholarship– Bihar के अन्तर्गत Apply करेंगे।
4. छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा उसी संस्थान का नाम चयन करें जिसमें वो अध्ययनरत् हों।
5. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित दस्तावेजों को दो प्रतियों में संलग्न कर अध्ययनरत् संस्थान में जमा करेंगे।
6. संस्थान एक प्रति Acknowledgement के रूप में आवेदक को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को Online सत्यापन/अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने पास रखेंगे।
7. सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सत्यापनोपरांत ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है।
8. विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नं0–0120–6619540 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के दूरभाष संख्या–0612–2215181 पर संपर्क किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

9. निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक स्वअभिप्रमाणित दस्तावेजः—

1. विगत वर्ष का अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण—पत्र।
2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता—पिता/अभिभावक का अद्यतन आय प्रमाण पत्र।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण—पत्र।
   (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत निर्गत जाति प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण—पत्र एवं आवासीय प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।)
5. आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में अपने बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या अंकित करने के पश्चात् साक्ष्य के रूप में स्कैन किया गया पासबुक का प्रथम पृष्ठ अथवा कैंसिंल चेक का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आधार कार्ड का स्कैन कॉपी।
7. उक्त सत्र की शुल्क की प्राप्ति रसीद।
8. आवेदक का फोटोग्राफ।

आवेदन करने की तिथि :

1. छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 13.03.20 तक।
2. निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12/2/2020

सरकार के उप सचिव।

Scanned by CamScanner